

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज0 जयपुर।
क्रमांक: E-33/P.M.S./F-1142(P-03)(9239655)/2026/114 दिनांक : 18/03/2026

—: आदेश :-

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 तथा एफ.14(88)एफडी/रूल्स/2008 दिनांक 27.02.2022 एवं एफ.15(88)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 27.02.2022 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कार्मिक जिनके द्वारा राज्य सेवा/संवर्ग में 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी/पे-मैट्रिक्स लेवल में एसीपी/एमएसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी, पद एवं पदस्थापन स्थान	राज्य सेवा/संवर्ग में प्रथम नियुक्ति /कार्यग्रहण तिथि	एसीपी/एमएसीपी देय दिनांक व पूर्ण सेवावधि	वर्तमान प्राप्त ग्रेड-पे/पे-मैट्रिक्स लेवल	देय ग्रेड-पे/पे मैट्रिक्स लेवल
1	श्री राजवीर, वरिष्ठ लेब टेक्नीशियन, जिला चिकित्सालय भिवाडी	31.07.1998	31.07.2025	L-11	L-12

नोट :- उक्त कार्मिक के यदि दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी सन्तान हुई है तो यह आदेश उक्त कार्मिक पर लागू नहीं होगा।

उक्त कार्मिक का वेतन निर्धारण एसीपी/एमएसीपी स्वीकृती के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पृथक से किया जावेगा।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: E-33/P.M.S./F-1142(P-03)(9239655)/2026/114 दिनांक : 18/03/2026
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित नियंत्रण/प्रशासनिक अधिकारी, राजस्थान।
2. संस्थापन अधिकारी डीपीसी/टीसी अनुभाग मुख्यालय।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को आदेश की प्रति विभागीय वैबसाईट पर अपलोड वास्ते।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी अधिकारी।
5. रक्षित/आदेश पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date: 2026.03.17 16:48:55 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20913844

